कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक–4609/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, अप्रैल 26 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेन्ट नम्बर 14 अ में अस्पताल , विद्यालय, सामुदायिक भवन पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर0ओ0 व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 वन भूमि व गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षो के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/DISP/49674/2020)

संदर्भः– 1–अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–170/81–2–2022 लखनऊ दिनांक– 25.02.2022
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2515/11–सी FP/UP/DISP/49674/2020 लखनऊ दिनांक– 03.03.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 25.02.2022 में अंकित बिन्दुओ पर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2943/रेनुकूट/15–258 दिनांक 29.03.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्रांक–170/81–2–2022 लखनऊ दिनांक– 25.02.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	2–इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक– 22.10.2021 में की गयी अपेक्षा के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2003 (गाइडलाइन्स एवं क्लीयरिफिकशन्स) में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार आख्या उपलब्ध नही करायी गयी है । 3–अतः कृपया उक्त गाइडलाइन के चैप्टर 1 के 1.15 में निर्धारित प्राविधानो के अनुसार परियोजना का परीक्षण कर विषयगत प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा निरस्त किये जाने के कारणो सहित विस्तृत आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे । प्रश्नगत परियोजना की मूल प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध कराया जाय ।	प्रश्नगत प्रकरण में निम्नानुसार अवगत कराना है :– 1– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–08बी/यू0पी0/09/228/09/2021/एफ0सी0/474 दिनांक– 22.10.2021 द्वारा प्रस्ताव को निम्नानुसार निरस्त किया गया है :– The proposal is rejected on grounds of merit since proposals of non site specific project on forest land are normally not entertained as per FCA guidelines. 2– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2003 (गाइडलाइन्स एवं क्लीयरिफिकेशन्स) के चैप्टर 1 के 1.15 निम्नानुसार है :– Diversion of forest land for non-site-specific projects: A number of proposals for diversion of forest land for non-site-specific

–2–

projects like industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are received by the Central Government. Attention is drawn to items 1(iv) and 8 of the Form 'A' in which the proposal is to be submitted by the State Government. In these columns, justification for locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reasons for their rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification for locating non-site-specific projects on forest land. Therefore, the State Government should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area.

3— यहाँ यह उल्लेख करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या— एफ.नं. 112—9/98—एफ.सी. दिनांक— 13 मई 2011 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा—2 के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्यो हेतु 05 हे0 (पाँच हेक्टेयर) तक वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये अनुमति दिये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है :—

---I am directed to say that in partial modification of this Ministy's said letter of even number dated 03.11.2010, to facilitate expeditious creation of the critical public utility infrastructure in 60(sixty) Left Wing Extermism affected districts, the existing general approval under Section-2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for creation of critical public utility infrastructure by Government Department is further relaxed to diversion of not more than 5.00 ha of forest land in each case, in these districts . The activities covered under the General approval are as below:

14-Schools.
15-Dispensaries/Hospitals.
16-Electrical and Telecommunication Lines.
17-Drinking Water .
18-Water/Rain Water Harvesting Structures.
19-Minor Irrigation Canal.
20-Non Conventional Sources of Energy.
21-Skill up Gradation/Vocational Training

		Center. 22-Power Sub-stations. 23-Rural roads. 24-Communication Posts. 25-Police establishments like police Stations/Outposts/Border Outposts/Watch Towers in sensitive area (identified by Ministry of Home Affairs); and 26-Undergroujd laying of optical fibre cables, telephone lines & drinking water supply lines. 4– भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 13 मई 2011 में वर्णित 13 क्रियाकलापो की अनुमति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत केवल जनपद–सोनभद्र के लिए ही व्यवस्था दी गयी है, जिसमें नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा प्रस्तावित कार्य– **Dispensaries/Hospitals., Communication Posts & drinking water supply lines.** आदि सम्मिलित है" ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा यहाँ यह उल्लेख किया है कि आम जनता को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध हो सके इस हेतु नगर पंचायत रेनुकूट के क्षेत्राधिकार में कोई भी सरकारी चिकित्सालय उपलब्ध नही है । उक्त परियोजना को भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन्स एवं भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक– 13 मई 2011 में उल्लिखित प्राविधान जो उत्तर प्रदेश के केवल जनपद –सोनभद्र हेतु निर्धारित किया गया है के क्रम में विशेष रूप से विचार करते हुए स्वीकृति किये जाने हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करते हुए संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 4609 /अ/ समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–2943/रेनुकूट/15–258 दिनांक 29.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर